प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, पुरूष नर्स, बढईगिरी अनुदेशक, फोरमेन प्रेस, शिक्षक/सहायक शिक्षक, फार्मासिस्ट ग्रेड–2 (कम्पाउण्डर), अन्वेषक, पर्यवेक्षक, प्रहरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अन्तर्गत वन रक्षको एवं राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत क्षेत्ररक्षक के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2017

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन–पत्र			
भरने की प्रारम्भ तिथि	: 23.05.2017	भरने की अंतिम तिथि	: 08.06.2017
आवेदन मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 23.05.2017	आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 11.06.2017
परीक्षा दिनांक व दिन		**15.07.2017 से 14.08.2017 तक**	

परीक्षा शुल्क		
सीधी भर्ती/सीधी भर्ती बैकलांक के पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	**रू. 500/–**
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	**रू. 250/–**
सीधी भर्ती – बैकलॉग		कोई शुल्क नहीं
बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये		

ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा ।

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
15.07.2017 से 14.08.2017 तक	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 1:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं इलेक्ट्रनिक डिवाईस आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
3. **ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।**
4. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्वाइंट पेन (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु) तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है
5. पी.ई.बी. द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी **मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है । ई आधार मान्य नहीं है।**
6. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
7. **उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा**
8. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप–6 में वनरक्षक एवं क्षेत्ररक्षक के लिये) आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक पी.ई.बी को न भेजते हुये सीधे संबधित विभाग को में पृथक – पृथक पदों हेतु पृथक – पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा । पी.ई.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।

1. जेल उप महानिरीक्षक, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र. 9668/सामान्य स्थापना/2017 भोपाल, दिनांक 25/5/2017 का कृपया अवलोकन करना चाहे । पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. सी 3–8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 19 मई 2017 के अनुसार आयु सीमा के निर्धारण हेतु जारी 12 मई 2017 द्वारा जारी आदेश सभी पदों के लिये एक समान मान्य की गई अध्याय 1 (अ) के पृष्ठ क्र 11 एवं 12 की कण्डिका 1.5 एवं 1.5.1 , में उल्लेखित सभी पदों के लिये निम्नानुसार आयु तालिका होगी । अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी **संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-**

1.

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	21 से 28	18 से 25

2. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 12 = 40	25 + 15 = 40
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
3	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
4	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
5	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय /निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
6	नि:शक्तजन आवेदकों के लिए	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।			

3. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

जेल प्रहरी, वन रक्षको एवं क्षेत्ररक्षक के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2017 की नियम पुस्तिका के अध्याय 1 (अ) के पृष्ठ क्र 11 एवं 12 की कण्डिका 1.8.1 संशोधित किया है । जो निम्नानुसार हैः–

1.8.1 प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :–

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों 100 अंकों (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक) व तीन घंटे की अवधि का केवल 01 प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाईस्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे।